

(प्रतिलिपि आदेश दिनांक 09.05.2026)

न्यायालय-सदस्य पन्द्रहवे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ग्वालियर (म.प्र.)

नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ क्रमांक-11

Registration No.	:	EX MJC 219/2026
Filing No.	:	2321/2026
CNR No.	:	MP0701-008053-2026
Filing Date.	:	08-04-2026

1. तहसीन खान पत्नी स्व. शफीक खान, आयु-45 वर्ष, व्यवसाय-गृहणी,
2. अरशद अली खान पुत्र स्व. शफीक खान, आयु-20 वर्ष, व्यवसाय-अध्ययन
3. अदीब अली खान पुत्र स्व. शफीक खान, आयु-15 वर्ष, व्यवसाय-अध्ययन
4. इब्राहिम खान पुत्र स्व. नूर मोहम्मद खान, आयु-69 वर्ष, व्यवसाय-कुछ नहीं
5. जरीना बेगम पत्नी इब्राहिम खान, आयु 68 वर्ष, व्यवसाय-कुछ नहीं, निवासीगण-ग्राम पिछोर, वार्ड नंबर-10, रावतपुर पिछोर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) हाल निवासी- नाका चन्द्रवदनी, गली नंबर-1, पुलिस थाना झांसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)

..... डिक्रीदारगण

:: वि रु द्ध ::

1. साहिम खान पुत्र हनीफ खान, निवासी-ग्राम पिछोर, जिला बुहू (हरियाणा) (चालक कंटेनर क्रमांक एच.आर. 47 डी 4037)
2. राशिमा यादव पत्नी थान सिंह यादव, निवासी-एफ.के. 38, ब्लॉक एफ.के. शास्त्री नगर (उत्तर-पश्चिम दिल्ली)-110052 (स्वामी कंटेनर क्र. एच.आर. 47 डी 4037)

3. ओरियेन्टल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, द्वारा मण्डल प्रबंधक, कार्यालय-होटल अमर पैलेस के ऊपर, फूलबाग चौराहा, ग्वालियर (म.प्र.)

..... मदयूनगण

09.05.2026

डिक्रीदारगण के अधिवक्ता श्री रिकू सिंह के निवेदन पर प्रकरण निराकरण हेतु नेशनल लोक अदालत में रखा गया।

डिक्रीदारगण द्वारा श्री रिकू सिंह अधिवक्ता।

मदयूनगण अनिर्वाहित।

इसी प्रक्रम पर डिक्रीदार के अधिवक्ता श्री रिकू सिंह ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर मौखिक निवेदन किया कि मदयून बीमा कंपनी से प्राप्त सूचना मुताबिक उनके द्वारा अधिनिर्णीत अवार्ड राशि जमा करा दी गई है, इसलिये डिक्रीदारगण इस निष्पादन प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं, उन्होंने तदाशय की टीप मूल निष्पादन आवेदन अधीन आदेश 21 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के मार्जिन पर अभिलिखित कर हस्ताक्षर किये।

चूंकि अधिनिर्णीत अवार्ड राशि मदयून बीमा कंपनी द्वारा जमा करा दिया जाना कहा गया है, जिस वजह से डिक्रीदारगण स्वयं इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं, इसलिये डिक्रीदारगण की ऐसी वांछ पर उनकी ओर से प्रस्तुत यह निष्पादन प्रकरण अधीन आदेश 21 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता **समाप्त/खारिज** किया जाता है।

प्रकरण में पूर्व से नियत दिनांक 25.06.2026 निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज किया जाकर नियत अवधि के पूर्व
अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/-

कपिल सोनी

सदस्य पन्द्रहवे मो.दु.दा.अधिकरण एवं

पीठासीन अधिकारी, नेशनल लोक

अदालत, खण्डपीठ क्रमांक-11 ग्वालियर

म0प्र0

सोमवीर सिंह यादव

सदस्य

खण्डपीठ क्र.-11, ग्वालियर म0प्र0

बबलू जाटव

सदस्य

खण्डपीठ क्र.-11, ग्वालियर म0प्र0

॥ व्यय तालिका ॥

विवरण	डिक्रीदारगण	मदयूनगण
निष्पादन आवेदन पत्र	10	-
आवेदन पत्र, शपथपत्र	-	-
वकील पत्र	10	-
वकील फीस	-	-
कमिश्नर फीस	-	-
तलवाना	-	-
रुपयों का योग	20	-

सही/-

कपिल सोनी

सदस्य पन्द्रहवे मो.दु.दा.अधिकरण एवं पीठासीन

अधिकारी, नेशनल लोक अदालत, खण्डपीठ

क्रमांक-11 ग्वालियर म0प्र0